पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन में झाबुआ प्रदेश का मॉडल जिला बना

▶ मंत्री प्रहलाद पटेल ने की सराहना

झाबुआ, 09 जनवरी 2026। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल की अध्यक्षता में बुधवार को पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल में पेसा कानून (पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम) के क्रियान्वयन को लेकर राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री प्रहलाद पटेल ने झाबुआ जिले के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि पेसा एक्ट के सफल क्रियान्वयन के लिए जनजातीय कल्याण विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के साथ बेहतर समन्वय अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि झाबुआ सहित प्रदेश के अन्य वनांचल क्षेत्रों में पेसा कानून के अंतर्गत लगातार सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं, जो जनजातीय स्वशासन की भावना को मजबूत कर रहे हैं।

उन्होंने पेसा कानून के अंतर्गत जनजातीय समुदाय को मिले पारंपरिक अधिकारों को धरातल पर उतारने में पेसा जिला समन्वयक, ब्लॉक समन्वयक एवं मोबिलाइज़र की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सराहनीय बताया। सभी विभागों के बीच समन्वय से प्राप्त सकारात्मक परिणामों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मंत्री पटेल ने जिला पंचायत टीम एवं पेसा से जुड़े समस्त कार्यदल को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

जिला समन्वयक पेसा एक्ट गौरसिंह कटारा ने बताया कि समीक्षा बैठक में पेसा नियमों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा एवं मूल्यांकन किया गया। इस दौरान प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट के आधार पर झाबुआ जिला लगभग सभी मापदंडों पर प्रदेश में अव्वल रहा। बैठक में बताया गया कि झाबुआ जिले में अब तक 1073 ग्राम सभाओं का गठन पूर्ण किया जा चुका है, जो प्रदेश में सर्वाधिक है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के चलते झाबुआ जिले को पेसा कानून के प्रभावी एवं सफल क्रियान्वयन का मॉडल जिला घोषित किया गया। उन्होंने बताया कि झाबुआ जिले में पेसा कानून के तहत गठित शांति एवं विवाद निवारण समिति, वन संसाधन योजना एवं नियंत्रण समिति तथा सहयोगिनी मातृ समितियों को निरंतर सक्रिय किया जा रहा है। इन समितियों के माध्यम से ग्राम स्तर पर विवाद समाधान, सामुदायिक सहभागिता और पारंपरिक स्वशासन को मजबूती मिली है, जिसके सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं।

> ग्राम सभाओं को प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत गौण वनोपज के क्षेत्र में भी झाबुआ जिले ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। तेंदूपत्ता संग्रहण को लेकर 18 प्रस्ताव ग्राम सभाओं द्वारा पारित कराए जा चुके हैं, जिन्हें विभागीय प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ाया गया है। इससे जनजातीय समुदाय को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ठोस लाभ मिलने की संभावना है। झाबुआ जिले की यह उपलब्धि न केवल पेसा कानून के सफल क्रियान्वयन का उदाहरण है, बल्कि यह पूरे प्रदेश के लिए एक प्रेरणास्रोत एवं अनुकरणीय मॉडल के रूप में सामने आई है। बैठक में पेसा अधिनियम लागू करने वाले प्रदेश के 20 जिलों के जिला समन्वयक, पंचायत राज विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

पारा में विराट हिन्दू सम्मेलन 18 जनवरी को

▶ तैयारियों का शुभारंभ – पारा मण्डल में कार्यालय उद्घाटन के साथ

पारा. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पारा मण्डल में प्रस्तावित विराट हिन्दू सम्मेलन की तैयारियाँ जोर-शोर से प्रारंभ हो गई हैं। बुधवार को सम्मेलन आयोजन हेतु कार्यालय का विधिवत उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर मण्डल के सभी गांवों से हिन्दू समाज के वरिष्ठ जन, सामाजिक कार्यकर्ता एवं संघ पदाधिकारी उपस्थित रहे।

उद्घाटन से पूर्व आयोजित बैठक में सम्मेलन की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा हुई। आगामी सम्मेलन की तैयारियों हेतु मण्डल एवं सभी गांव स्तर पर समितियों का गठन किया गया। कार्यों व व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से अलग-अलग टोली (टीमें) भी बनाई गईं।आयोजन समिति के अनुसार, हिन्दू सम्मेलन का मुख्य आयोजन बालक माध्यमिक विद्यालय, पारा में होगा। सम्मेलन में प्रतिष्ठित संत-महात्माओं एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रबुद्ध वक्ताओं का मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

सम्मेलन से पूर्व, 9 जनवरी 2026 को राम मंदिर पारा से प्रातः 9 बजे ध्वज यात्रा एवं आयोजन स्थान पर ध्वज स्थापना कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा,

> जिसमें समस्त हिन्दू समाज की सहभागिता रहने की अपेक्षा है। वहीं, विराट हिन्दू सम्मेलन का आयोजन 18 जनवरी 2026, रविवार को भव्य रूप से किया जाएगा इस अवसर पर विशाल शोभायात्रा, धर्मसभा एवं सामूहिक भोजन (प्रसादी) का आयोजन भी रखा गया है। मण्डल के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सभी हिन्दू बंधुओं, माताओं-बहनों से सम्मेलन में अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होकर हिन्दू एकता और सांस्कृतिक गौरव का संकल्प सुदृढ़ करने की अपील की है।

थाना थांदला पुलिस ने ढाई वर्षीय गुम बालिका को 3 घंटे में किया दस्तयाब

▶ परिजनों को सौंपा

थांदला.थाना थांदला क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 07.01.2026 को कस्बा थांदला की रितुराज कॉलोनी से एक ढाई वर्षीय बालिका के गुम हो जाने की सूचना प्राप्त हुई। परिजनों द्वारा आसपास काफी तलाश किए जाने के बाद भी बालिका का कोई पता नहीं चल सका। तत्पश्चात परिजनों ने शाम लगभग 7 बजे थाना थांदला में गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई। जिस पर पर थाना थांदला पर अपराध पंजीबद्ध किया गया।

मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना थांदला पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। पुलिस ने सघन तलाश अभियान चलाते हुए मात्र 03 घंटे के भीतर अपहृत बालिका को भीमकुंड क्षेत्र से सकुशल दस्तयाब कर लिया।

दस्तयाबी के पश्चात बालिका को विधिवत रूप से उसके माता-पिता के सुपुर्द किया गया। बालिका के सुरक्षित मिलने से परिवार में खुशी का माहौल है। परिजनों ने थाना थांदला पुलिस की तत्परता एवं संवेदनशील कार्रवाई के लिए आभार व्यक्त किया।

विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

आलीराजपुर । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आलीराजपुर के मार्गदर्शन में पी.एम. श्री एकीकृत शासकीय उ.मा.वि. आम्बुआ में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विद्यार्थियों को *NALSA (DAWN - Drug Awareness and wellness navigation - For a Drug-Free India) Scheme* 2025 के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि युवाओं, बच्चों और किशोरों में नशीली दवाओं की तस्करी और नशीली दवाओं के उपयोग में अभूतपूर्व वृद्धि के गंभीर परिणाम है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे है। इस पर अंकुश लगाना राज्य और समाज दोनों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस योजना का मूल उद्देश्य मादक दवाओं और पदार्थों के संबंध में कानूनी प्रावधानों, विभिन्न नीतियों, योजनाओं के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता फैलाना, साथ ही स्कूलों और कॉलेजों, सड़कों और गलियों में बच्चों के बीच नशीली दवाओं के उपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इसके साथ ही विद्यार्थियों को शिक्षा का अधिकार, साइबर क्राइम, यातायात नियम, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी।

▶ मौलिक अधिकार और कर्त्तव्य भारतीय संविधान का अभिन्न अंग : मुलाल्दा

जिला विधिक सहायता अधिकारी दिलीप सिंह मुजाल्दा के द्वारा बताया कि मौलिक अधिकार और कर्तव्य भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। ये अधिकार प्रत्येक नागरिक के व्यक्तित्व विकास में सहायक होते हैं और उसकी गरिमा की रक्षा करते हैं। मौलिक कर्तव्य देश के प्रति भारतीय नागरिकों की जिम्मेदारी है। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी कर्मचारी एवं विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकगण, छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

एक नजर में ▶ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के आदर्शों और गुणों को जीवन में अंगीकार करने की है आवश्यकता – : प्रन्यास प्रवर श्री योगरुचि विजयजी मसा

जैन रामायण पर श्री ऋषभदेव बावन जिनालय में हुए प्रवचन

झाबुआ। स्थानीय जैन तीर्थ श्री ऋषभदेव बावन जिनालय में विराजित परम् पूज्य आचार्य भगवंत श्री जिनसुंदर सूरीश्वरजी मसा के सुशिष्य प्रन्यास प्रवर श्री योगरुचि विजयजी मसा ने 9 जनवरी, शुक्रवार सुबह जैन रामायण पर प्रवचन देते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीरामचंद्रजी के जीवन के बारे में बताते हुए कहा कि प्रभु के 3 विशेष गुणों को प्रत्येक मनुष्यों को अपने जीवन में अपनाने जैसा है।

आपने इंग्लिश में राम शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि आर यानि रिस्पेक्ट आल सभी के प्रति आदर भाव, पिताश्री दशरथ राजा पूछने गए कि अयोध्या की गादी भरत को दू, यह बराबर है न, तब प्रभु श्री रामचन्द्रजी ने अपनी आंखों में आंसुओं के साथ बोला कि मैं इतना अयोग्य हूं कि आपको मुझसे पूछना पड़े, अरे अयोध्या की राजगादी भरत तो क्या अयोध्या के चौकीदार को भी दोगे तो मुझे इसमें बाधा नहीं है। प्रभु श्रीराम का अपने पिता से प्रेम, पिता के प्रति क्या आदर, सत्कार उनकी बात जरा भी नहीं काटते थे। अविलंब सहर्ष स्वीकार भाव रखते थे। जिसके घर में ऐसा बड़ीलो के प्रति स्वीकार भाव है। वही आर्य संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, बाकी आज घर-घर में बड़ों का आधार टूट रहा है। प्रभु श्रीराम के आदर्शों को जीवन में अपनाएंगे, तो यह हिंदू संस्कृति और आर्य संस्कृति टिकी रहेगी। दूसरा शब्द ए अर्थात अट्रेक्ट ऑल आकर्षित जीवन, विशल्या जल के प्रभाव से युद्ध के समय जिन सैनिकों को घांव होते थे, वह उस जल को लगाने से दूर हो जाते थे। एक बार प्रभु श्रीराम के पास उनके सैनिक आए कि यह जल बहुत बच गया है। तब प्रभु ने कहा कि रावण की सेना में भी ये विशल्या जल पहुंचाओ। उनके भी बहुत से सैनिक घायल है, ऐसा करके विरोधियों के दिलों को भी जिन्होंने आकर्षित किया। तीसरा शब्द एम यानि मोटिवेट ऑल, प्रभु श्रीराम मर्यादा पालन में भी श्रेष्ठ थे। आज घर-घर में मर्यादा टूट रहीं है। युवा पीढ़ी व्यसनों के चक्कर में फंसी हुई है। प्रश्न उठता है कि इंसान समझदार है या नहीं। उसे पता है कि 20 लाख की कार में केरोसिन डाल के नहीं चला सकते, वैसा करने से गाड़ी का इंजन बिगड़ जाएगा। 20 लाख की गाड़ी का इंजन न बिगड़े उसकी चिंता उसे है, परंतु करोड़ों- अरबों रुपये पैसे से भी ज्यादा मूल्यवान इंसान का भव है और वह बिगड़े उसकी चिंता उसे नहीं है। गाड़ी का इंजन तो बदला जा सकता है, परंतु इंसान का जन्म वापस मिलेगा या नहीं, इसका पता नहीं है ?ख् इसलिए ये शरीर न बिगड़े इस कारण शरीर को बिगाड़ने वाले तत्व व्यसनों से दूर रहे। इसी में उसकी भलाई है। प्रभु श्रीरामचंद्रजी के आदर्शों को व्यक्ति जीवन में उतारता है, तो उसे इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष सुख की प्राप्ति हो सकती है।

> **झाबुआ से हुआ विहार**
> प्रन्यास प्रवर श्री योगरुचि विजयजी मसा आदि ठाणा-3 की शहर में 8 दिन की स्थिरता एवं जैन रामायण पर प्रवचन, सामूहिक वर्षीतप की प्रेरणा एवं 200 से अधिक पार्श्वनाथ प्रभु को घर घर विराजमान करने का विशिष्ट, अद्भुत अनुष्ठान आदि धर्म प्रभावना करने के पश्चात पूज्यश्री का शुक्रवार शाम 4 बजे श्री ऋषभदेव बावन जिनालय से विहार करके सेमलिया बड़ा स्कूल पधारे। पूज्यश्री 10 जनवरी, शनिवार सुबह पारा नगर में पधारेंगे।

▶ एक नजर में ◀

जिले में 11 जनवरी से प्रारंभ होंगे कृषि रथ
कृषि वर्ष 2026 के अंतर्गत किसानों तक पहुँचेगी वैज्ञानिक कृषि तकनीक

आलीराजपुर। मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने के निर्णय के तहत प्रदेशभर में कृषि रथ का संचालन किया जाएगा। इसका राज्य स्तरीय शुभारंभ 11 जनवरी 2026 को भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा किया जाएगा। इसी दिन जिले में एवं विकासखंड मुख्यालयों पर भी कृषि रथ का शुभारंभ किया जाएगा।इस संबंध में आज कलेक्टर कक्ष में कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि अधिकारियों द्वारा बताया गया कि कृषि रथ का उद्देश्य किसानों, कृषि वैज्ञानिकों तथा कृषि एवं संबद्ध विभागों पशुपालन, उद्यानिकी एवं मत्स्य पालन के बीच सीधा संवाद स्थापित कर नवीन एवं वैज्ञानिक कृषि तकनीकों की जानकारी किसानों तक पहुँचाना है। कृषि रथ जायद, खरीफ एवं रबी फसलों की बुआई से एक माह पूर्व प्रत्येक विकासखंड में संचालित किए जाएंगे।प्रत्येक कृषि रथ प्रतिदिन तीन ग्राम पंचायतों का भ्रमण करेगा तथा एक माह में विकासखंड की सभी ग्राम पंचायतों तक पहुँचेगा। कृषि रथ के माध्यम से किसानों को जैविक एवं प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, कीट एवं रोग प्रबंधन, फसल विविधीकरण, कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के उपाय, विभागीय योजनाएं, प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना, ई-टोकन उर्वरक वितरण व्यवस्था तथा पराली प्रबंधन से संबंधित योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी। कलेक्टर नीतू माथुर द्वारा कृषि रथ के प्रभावी संचालन की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस अभियान से जिले के किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी प्राप्त होगी तथा कृषि को अधिक लाभकारी बनाने में सहायता मिलेगी। इस दौरान बैठक में कृषि विभाग उप संचालक सज्जन चौहान, उद्यानिकी विभाग श्री कैलाश चौहान, परियोजना संचालक आत्मा श्री दादू मोरे, महिला बाल विकास जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री मोनिका बघेल,जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजेश अतुलकर, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि विज्ञान केंद्र सहित समस्त संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

एकीकृत माध्यमिक विद्यालय राजावट का औचक निरीक्षण डिप्टी कलेक्टर सुश्री निर्मला कलमे ने किया

आलीराजपुर, ।जिले में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के

उद्देश्य से कलेक्टर नीतू माथुर के निर्देशानुसार अधिकारियों द्वारा निरंतर शैक्षणिक संस्थाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में आज डिप्टी कलेक्टर सुश्री निर्मला कलमे द्वारा एकीकृत माध्यमिक विद्यालय राजावट का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति अपेक्षाकृत कम पाई गई। इस पर डिप्टी कलेक्टर ने संबंधित शिक्षकों एवं विद्यालय स्टाफ को निर्देशित किया कि वे बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करें तथा वार्षिक परीक्षा परिणाम बेहतर बनाने के लिए पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण कराएं। साथ ही रिवीजन कार्य और प्रतिदिन टेस्ट लेने पर भी विशेष जोर दिया गया। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि विद्यालय में बच्चों को मध्यान्ह भोजन निर्धारित मेन्यू के अनुसार नहीं दिया जा रहा था। इस पर डिप्टी कलेक्टर सुश्री निर्मला कलमे ने संबंधित जिम्मेदारों को सख्ती से निर्देश दिए कि भविष्य में बच्चों को मेन्यू के अनुसार ही भोजन उपलब्ध कराया जाए, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कलेक्टर सुश्री निर्मला कलमे ने विद्यालय प्रबंधन को शैक्षणिक गुणवत्ता और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए पूरी गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए।

नए मतदाताओं को निर्वाचन नामावली में शामिल करने हेतु जिले में विशेष शिविर आयोजित

आलीराजपुर । जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर नीतू माथुर के निर्देशानुसार में जिले की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 191 आलीराजपुर एवं 192 जोबट अंतर्गत आने वाले शासकीय महाविद्यालयों तथा शासकीय/अर्द्धशासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र युवाओं को मतदाता सूची में सम्मिलित करने हेतु विशेष शिविर लगा कर अभियान चलाया जा रहा है।जिसके तहत आज सर प्रताप डिस्ट्रिक्ट एक्सीलेंस हायर सेकेण्डरी स्कूल आलीराजपुर में नवीन मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने हेतु आयोजित शिविर का निरीक्षण तहसीलदार मामून खान द्वारा किया गया। उन्होंने शिविर में उपस्थित छात्र-छात्राओं से संवाद कर उन्हें मतदाता बनने के महत्व की जानकारी दी तथा पात्र विद्यार्थियों से फार्म-6 भरवा कर उनके नाम मतदाता सूची में जोड़ने की प्रक्रिया संपन्न कराई। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र युवाओं का नाम निर्वाचन नामावली में शामिल कर उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ना है।